कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 17/2020-21/

दिनांक : /03/2021

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद - दुगड्डा,

जनपद – पौंड़ी गढ़वाल।

विषय : नगर पालिका परिषद- दुगड्डा, जनपद- पौंड़ी गढ़वाल के वर्ष 04/2018 से 03/2020 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग II (अ) में **शून्य** प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में **10** प्रस्तर एवं STAN में **शून्य** प्रस्तर (पृष्ठ संख्या 01 से 22 तक) हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इस पत्र की प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1. प्रतिवेदन की प्रति।

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप।

भवदीय,

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

सं. :AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 17/2020-21/ दिनांक: /03/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून।

2- निदेशक, लेखापरीक्षा (ऑडिट निदेशालय) द्वितीय तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005 ।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 17/2020-21</u>

निरीक्षण आख्या **कार्यालय, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दुगड्डा, जनपद-पौड़ी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए **कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून** की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

<u>भाग-प्रथम</u>

1- **परिचयात्मकः-** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री हिमांशु शर्मा एवं विनीत कुमार राही, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 13.08.2018 से 20.08.2018 तक श्री ए. के. भारतीय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी जिसमें वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के लेखों की लेखापरीक्षा संपन्न की गई थी।

1. **<u>इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र</u>**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **1.5 वर्ग कि.मी.**

(ii) जनसंख्या: **2422 (2011 की जनसंख्या के अनुसार)**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **04**

(iv) नगर पालिका द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **12**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **02**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **9**

(vii) नगर निगम की संपत्तियाँ: **कार्यालय भवन, बारात घर एवं दुकानें।**

(viii) नगर निगम के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ, बजट बोर्ड से पारित हुआ है।**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दुगड्डा

योजनावार आय-व्यय का विवरण वर्ष 2017-18

(` लाख में)

क्र. सं.	योजना/ मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अवशेष
1	14 वां वित्त आयोग	0	53.01	53.01	32.82	20.19
2	राज्य वित्त आयोग	16.52	381.52	398.04	296.28	101.76
3	अवस्थापना विकास निधि	0	14.42	14.42	10.16	4.26
4	स्वच्छ भारत मिशन	3.43	1.92	5.35	2.22	3.13
5	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	0	0	0	0
6	पालिका निधि (जमानत एवं ब्याज सहित)	3.56	11.48	15.04	6.92	8.12
7	14 वां वित्त आयोग (performance grant)	0	0	0	0	0
8	DNULM	0	0	0	0	0
	योग	**23.51**	**462.35**	**485.86**	**348.4**	**137.46**

योजनावार आय-व्यय का विवरण वर्ष 2018-19

(` लाख में)

क्र. सं.	योजना/ मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अवशेष
1	14 वां वित्त आयोग	20.19	49.34	69.53	69.53	0
2	राज्य वित्त आयोग	101.76	382.96	484.72	293.01	191.71
3	अवस्थापना विकास निधि	4.26	0	4.26	0	4.26
4	स्वच्छ भारत मिशन	3.13	0.5	3.63	2.93	0.7
5	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	3.2	3.2	3.2	0
6	पालिका निधि (जमानत एवं ब्याज सहित)	8.12	6.34	14.46	1.57	12.89
7	14 वां वित्त आयोग (performance grant)	0	10	10	10	0
8	DNULM	0	0	0	0	0
	योग	**137.46**	**452.34**	**589.8**	**380.24**	**209.56**

योजनावार आय-व्यय का विवरण वर्ष 2019-20

(` लाख में)

क्र. सं.	योजना/ मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अवशेष
1	14 वां वित्त आयोग	0	104.12	104.12	58.16	45.96
2	राज्य वित्त आयोग	191.71	382.93	574.64	464.97	109.67
3	अवस्थापना विकास निधि	4.26	0	4.26	2.04	2.22
4	स्वच्छ भारत मिशन	0.7	13.61	14.31	8.8	5.51
5	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	2.4	2.4	2.2	0.2
6	पालिका निधि (जमानत एवं ब्याज सहित)	12.89	16.06	28.95	3.51	25.44
7	14 वां वित्त आयोग (performance grant)	0	45.09	45.09	45.09	0
8	DNULM	0	0.5	0.5	0.2	0.3
	योग	**209.56**	**564.71**	**774.27**	**584.97**	**189.3**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दुगड्डा
केंद्र पुरोधानित योजनाओं के अंतर्गत आय-व्यय का विवरण वर्ष 2017-18

(` लाख में)

क्र. सं.	योजना/ मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अवशेष
1	14 वां वित्त आयोग	0	53.01	53.01	32.82	20.19
2	स्वच्छ भारत मिशन	3.43	1.92	5.35	2.22	3.13
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	0	0	0	0
4	14 वां वित्त आयोग (performance grant)	0	0	0	0	0
5	DNULM	0	0	0	0	0
	योग	**3.43**	**54.93**	**58.36**	**35.04**	**23.32**

केंद्र पुरोधानित योजनाओं के अंतर्गत आय-व्यय का विवरण वर्ष 2018-19

(` लाख में)

क्र. सं.	योजना/ मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अवशेष
1	14 वां वित्त आयोग	20.19	49.34	69.53	69.53	0
2	स्वच्छ भारत मिशन	3.13	0.5	3.63	2.93	0.7
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	3.2	3.2	3.2	0
4	14 वां वित्त आयोग (performance grant)	0	10	10	10	0
5	DNULM	0	0	0	0	0
	योग	**23.32**	**63.04**	**86.36**	**85.66**	**0.7**

केंद्र पुरोधानित योजनाओं के अंतर्गत आय-व्यय का विवरण वर्ष 2019-20

(` लाख में)

क्र. सं.	योजना/ मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अवशेष
1	14 वां वित्त आयोग	0	104.12	104.12	58.16	45.96
2	स्वच्छ भारत मिशन	0.7	13.61	14.31	8.8	5.51
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	2.4	2.4	2.2	0.2
4	14 वां वित्त आयोग (performance grant)	0	45.09	45.09	45.09	0
5	DNULM	0	0.5	0.5	0.2	0.3
	योग	**0.7**	**165.72**	**166.42**	**114.45**	**51.97**

भाग II-'ब '

प्रस्तरः 01 ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन प्रावधानों का पूर्ण रुप से अनुपालन सुनिष्चित नहीं किया जाना।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 अधिसूचित की गयी थी (सितम्बर 2000)। इन नियमों का प्रत्येक नगरीय प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथकीकरण, भण्डारण, परिवहन, प्रक्रिया एवं निस्तारण किया जाना था। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 में संशोधन कर (अप्रैल 2016) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 बनायी गयी जो म्युनिसिपल क्षेत्र से बाहर भी प्रभावी है। नियमावली के अनुसार निम्नलिखित मानदण्डों का अनुपालन किया जाना था।

मानदण्ड	अनुपालन
ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	प्रत्येक घरों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं उसे सामुदायिक बिन में हस्तांतरण
ठोस अपशिष्ट का पृथकीकरण	अपशिष्ट के पृथकीकरण हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन एवं पृथकीकृत अपशिष्टों का पुनः उपयोग एवं पुनर्प्रक्रिया को बढावा देना।
ठोस अपशिष्ट का भण्डारण	जनसंख्या घनत्व एवं अपशिष्ट के उत्पन्न मात्रा के आधार पर भण्डारण सुविधा का विकास एवं भिन्न भिन्न प्रकार के अपशिष्ट हेतु अलग-अलग रंगो में बिन का रखरखाव।
ठोस अपशिष्ट का परिवहन	अपशिष्ट के दैनिक सफाई हेतु ढंके हुये वाहनों का उपयोग एवं बहुस्तरीय हथालन को रोका जाना।
ठोस अपशिष्ट की प्रक्रिया	उपयोगी तकनीकी अथवा तकनीकी युग्म के द्वारा भू-भरण पर पड़ने वाले भार को कम करने हेतु प्रयास करना।
ठोस अपशिष्ट का निस्तारण	भू-भरण को उन अजैविक, अक्रियाशील अपशिष्टों से भरा जाना चाहिये जो जैविक प्रक्रिया द्वारा पुनर्चक्रण हेतु उपयोगी न हों।

उपरोक्त के अलावा **ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन नियम 2016** के **बिन्दु 15(1)(ड)** के अनुसार नगरीय निकाय इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर इन नियमों के उपबन्धों को समाविष्ट करते हुये उपविधियां बनायेगा एवं समय पर इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा, **बिन्दु 15(1)(यघ)** के अनुसार निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि प्रसुविधा का प्रचालक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात वर्दी, प्रदीप्त जैकेट, हाथ के दस्ताने, बर्साती, समुचित जूते और मास्क ठोस अपशिष्ट के हथालन में लगे सभी कार्मिको को उपलब्ध करायेगा और कार्यबल द्वारा इनका उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा, **बिन्दु 15 (1)(यक) एवं (यख)** के अनुसार नगरीय प्राधिकारी प्रारूप IV में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में अपनी वार्षिक रिपोर्ट निदेशक, शहरी विकास को दिनांक 30 अप्रैल एवं सचिव, शहरी विकास विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 31 मई तक प्रेषित करेगा, **बिन्दु 15 (1)(ठ)** के अनुसार निकाय अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रह कर्ताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का प्रशिक्षण देगा, **बिन्दु 25** के अनुसार यदि किसी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण या सुविधा केन्द्र या भराव भूमि स्थल पर कोई दुर्घटना होने की दशा में, तब सुविधा का प्रभारी अधिकारी प्रारूप-VI में घटना की रिपोट स्थानीय निकाय को भेजेगा, बिन्दु 15(1)(म एवं य) के प्रावधानों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जायेगा।

नगर पालिका परिषद, दुगड्डा के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु इकाई द्वारा वर्तमान तक कोई उपविधि नहीं बनायी गयी थी जबकि उपरोक्त अधिसूचना जारी होने के 06 माह के अन्तर्गत बना लिया जाना चाहिए था। पालिका द्वारा प्रत्येक दिन उत्सर्जित कूडे की वैज्ञानिक रुप से भूभरण आदि प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित कर निस्तारण नहीं किया जा रहा था और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस हेतु कोई प्राधिकार पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया था। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार नहीं किया जा रहा है और न ही सचिव, शहरी विकास एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रुप से प्रत्येक वर्ष प्रेषित किया जा रहा था। इस प्रकार से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का इकाई द्वारा पूर्ण रुप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि अलग ट्रन्चिंग ग्राउण्ड के निर्माण के लिए अलग डी.पी.आर. स्वीकृत कराये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

अतः ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन प्रावधानों का पूर्ण रुप से अनुपालन सुनिष्चित नहीं किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब '

प्रस्तर: 02 नियम के विपरीत आवश्यकता से अधिक ₹ 11.16 लाख की अधिप्राप्ति।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या: 129/XXVII/(7)32/2007 दिनांक 14 जुलाई 2017 द्वारा उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 पारित किया गया था। उक्त नियमावली के बिन्दु संख्या 3, अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांत, के नियम 4 के अनुसार अधिप्राप्तकर्ता संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए , अधिप्राप्त की जाने वाली सामाग्री की गुणवत्ता, प्रकार, मात्रा आदि विशिष्टताएं स्पष्ट रूप से सूचित की जानी चाहिए जिससे अतिरिक्त और अनावश्यक लक्षणो को शामिल किए बगैर इस प्रकार तैयार की गयी विशिष्टताओं द्वारा संगठन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिससे अवांछित व्यय न हो और भंडारण लागत में अनावश्यक वृद्धि न हो । उक्त के अतिरिक्त सामान्य वित्तीए नियमावली के नियम संख्या 62(3) के अनुसार वित्तीए वर्ष के अंत में बहुत जरूरी न हो तो व्यय करने से बचना चाहिए एवं ऐसा व्यय वित्तीए औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, दुगद्दा, जनपद-पौड़ी गढ़वाल के 14वें वित्त आयोग से संबन्धित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया की इकाई द्वारा मार्च 2019 में ` 11.16 लाख की धनराशि से 45 वॉट के 400 प्रति एवं 60 वॉट के 200 प्रति LED स्ट्रीट लाइट की खरीदारी की गई थी जो की उक्त उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली एवं सामान्य वित्तीए नियमावली के विपरीत था। आगे, उक्त LED स्ट्रीट लाइटों के स्टॉक पंजिका के अभिलेखों की जांच में पाया गया की 45 वॉट के 400 प्रति LED स्ट्रीट लाइट का क्रय करने के एक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी इकाई के स्टॉक पंजिका में 323 LED स्ट्रीट लाइट अवशेष थी। साथ ही 60 वॉट के 200 प्रति LED स्ट्रीट लाइट का क्रय करने के एक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी इकाई के स्टॉक पंजिका में 165 LED स्ट्रीट लाइट अवशेष थी। उक्त सभी साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है की LED स्ट्रीट लाइट की जितनी आवश्यकता थी उससे कहीं अत्यधिक मात्रा में अधिप्राप्ति की गई। अधिप्राप्ति से एक वर्ष तक कुल 45 वॉट के 77 LED स्ट्रीट लाइट एवं 60 वॉट के 35 LED स्ट्रीट लाइट की ही जरूरत थी। आवश्यकता से अधिक अधिप्राप्ति करने से LED स्ट्रीट लाइटों की वारंटी/गारंटी समाप्त हो सकती है साथ ही अधिक दिनों तक पड़े रहने के कारण अकार्यशील होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दुगड्डा, जनपद-पौड़ी गढ़वाल** ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया की LED लाइटों का क्रय पालिका बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर किया जाता है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि LED लाइटों का क्रय आवश्यकता अनुसार ही किया जाना चाहिए था, आवश्यकता से अधिक का क्रय नियम के विपरीत था।

इस प्रकार, नियम के विपरीत आवश्यकता से अधिक ₹ 11.16 लाख की अधिप्राप्ति करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब '

प्रस्तरः 03 जिला न्यास अंशदान की धनराशि ₹ 83931/- की कटौती कर जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास में जमा नहीं कराया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1621/VII-1/2017/8 ख/16 दिनांक 17 नवम्बर 2017 के द्वारा उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गई थी। यह नियमावली दिनांक 12 जनवरी 2015 को प्रवत्त हुई समझी जाएगी। उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10 (5) के अनुसार सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी का **25 *प्रतिशत*** अतिरिक्त रूप में जमा किया जाएगा।

कार्यालय, **नगर पालिका परिषद, दुगड्डा** के निर्माण कार्यों के नमूना लेखापरीक्षा अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान अवस्थापना विकास निधि, केन्द्रीय वित्त योजना एवं राज्य वित्त योजना आदि योजनाओं के माध्यम से कराए गए सरकारी निर्माण कार्यों के सापेक्ष **₹335724/-** की धनराशि की रॉयल्टी की कटौती कर चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कराया गया था। उक्त रॉयल्टी की कटौती के सापेक्ष जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास को दिए जाने वाले रॉयल्टी का **25 *प्रतिशत*** अतिरिक्त रूप में जमा नहीं कराया गया था। उक्त चालानों एवं धनराशियों का विवरण निम्नवत थाः

क्रम संख्या	चालान संख्या	दिनांक	चालान के द्वारा जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि	जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि के सापेक्ष जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास को देय 25 *प्रतिशत* रॉयाल्टी की धनराशि, जो कि इकाई द्वारा जमा नहीं कराया गया था
01	e-chalan	12.03.2020	26158	6539.5
02	e-chalan	11.03.2020	35490	8872.5
03	e-chalan	05.03.2020	2288	572
04	e-chalan	28.02.2020	1540	385
05	e-chalan	26.02.2020	7165	1791.25
06	e-chalan	27.01.2020	38512	9628
07	e-chalan	05.05.2020	6623	1655.75
08	e-chalan	05.05.2020	38512	9628
09	e-chalan	29.12.2019	23356	5839
10	e-chalan	28.12.2019	11671	2917.75
11	e-chalan	28.12.2019	20091	5022.75
12	e-chalan	19.12.2019	9012	2253
13	e-chalan	19.12.2019	2672	668
14	e-chalan	15.12.2019	9310	2327.5
15	e-chalan	15.12.2019	8599	2149.75
16	e-chalan	11.12.2019	9799	2449.75
17	53	24.01.2018	11427	2856.75
18	20	28.11.2017	34562	8640.5
19	51	05.09.2017	38937	9734.25
		कुल योग	**335724**	**83931**

आगे जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा उक्त जमा किए गए रॉयल्टी की धनराशि **₹ 335724/-** के सापेक्ष जिला न्यास निधि अंशदान हेतु रॉयल्टी की 25 *प्रतिशत* धनराशि **₹ 83931/-** संबंधित निर्माण कार्यों से की कटौती करके उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास के खाते में जमा नहीं कराया गया था।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दुगड्डा, जनपद-पौड़ी गढ़वाल** ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि जानकारी के अभाव में उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास हेतु धनराशि नहीं काटी गई। इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी का 25 *प्रतिशत* अतिरिक्त रूप में जमा किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, जिला न्यास अंशदान की धनराशि ₹ 83931/- की कटौती कर जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास में जमा नहीं कराए जाने संबंधी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब '

प्रस्तरः 04 अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का पालन न करते हुए धनराशि ₹ 7.13 लाख का अनियमित व्यय किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 3(6) के अनुसार निविदा में सभी शर्ते समान होने पर सामान्यतः न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकार की जाये अन्यथा उन कारणों को सर्वथा अभिलिखित किया जाये जिनके कारण न्यूनतम दर वाली निविदा अस्वीकृत की गयी है। नियम 3(9) के अनुसार पराक्रमण (निगोशिएशन) से बचा जाय और विशेष परिस्थितियों में केवल न्यूनतम बोली लगाने वाले एल-1 से ही समझौते की वार्ता के जा सकेगी तथा ऐसे पराक्रमण के लिए कारण स्पष्ट रुप से अभिलिखित किये जाय। नियम 35 के अनुसार राज्य के समस्त विभागों में ₹ 2.50 लाख से अधिक की सामग्रियॉ एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति ई प्रोक्यूरमेन्ट के माध्यम से कराया जाएगा। ई प्रोक्यूरमेन्ट का तात्पर्य वस्तुओं, सेवाओं तथा कार्यो के अधिप्राप्ति से सम्बन्धित प्रबन्धन, निविदा प्रक्रिया अनुबन्ध गठन तथा अनुबन्ध प्रबन्धन की प्रक्रिया को इलेक्ट्रानिक माध्यम से किया जाना है।

कार्यालय नगर पालिका परिषद दुगड्डा के वर्ष 2019-20 के दौरान किये गये अधिप्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि विभिन्न विद्युत सामग्रियों जैसे सोलर लाईट 20 वाट एवं 25 वाट सहित कुल 03 सामग्रियों के क्रय के लिए माह जून 2019 में निविदा आमंत्रित की गयी जिसमें 04 सफल फर्मो द्वारा अपना दर प्रस्तुत किया गया। तीनों फर्मो का एक-एक सामग्री के लिए न्यूनतम दर पर पायी गयी। दरें अधिक होने के कारण दिनांक 02.07.2019 को निगोसिएसन के लिए तीनों फर्मो को पत्र प्रेषित किया गया, परन्तु इन्द्रा सोलर इनर्जी द्वारा न्यूनतम एक सामग्री के सापेक्ष 02 सामग्रियों 20 वाट एवं 25 वाट के लिए पूर्व में प्रस्तुत प्रति नग दर ₹ 60,000 एवं ₹ 62,000 के सापेक्ष क्रमशः ₹ 22,500 एवं ₹ 25,000 प्रस्तुत किया गया तथा उसी दर को अनुमोदित करते हुए उसी फर्म को उपरोक्त अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों को उलंघन करते हुए आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार से उक्त सामग्रियों के क्रय पर कार्यालय द्वारा अनियमित रुप से धनराशि ₹ 7,12,500 का व्यय किया गया।

उक्त के अतिरिक्त अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 35 के अनुसार ₹ 2.50 लाख से अधिक की धनराशि के सामग्रियों के क्रय पर वस्तुओं, सेवाओं तथा कार्यो के अधिप्राप्ति से सम्बन्धित प्रबन्धन, निविदा प्रक्रिया अनुबन्ध गठन तथा अनुबन्ध प्रबन्धन की प्रक्रिया को इलेक्ट्रानिक माध्यम से किया जाना है, का भी पालन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों को स्वीकारते हुए उत्तर में अवगत कराया कि प्रकरण की जॉच की जाएगी तथा सामग्री क्रय के सम्बन्ध में भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी।

अतः अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का पालन न करते हुए धनराशि ₹ 7.13 लाख का अनियमित व्यय सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब '

प्रस्तर:05 निगम क्षेत्रांतर्गत स्थापित मोबाइल टावरों से Administrative Fee तथा One-time Permission Fee की वसूली न किए जाने के कारण राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपने पत्रांक संख्या 476/XXXIV/2018-17/सू.प्रौ./2018 दिनांक 26.11.2018 के माध्यम से Uttarakhand Right of Way, 2018 को प्रख्यापित किया गया है। Uttarakhand Right of Way, 2018 के प्रस्तर 7 के अनुसार नगर निगम को अपने क्षेत्रान्तार्गत Optical Fibre Cable बिछाने तथा मोबाईल टावर स्थापित करने हेतु किए गये आवेदन पर आवेदनकर्ता को लाईसेंस प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है।

Uttarakhand Right of Way, 2018 के प्रस्तर 11.3 के अनुसार, **" Every application under guidelines 11.1 shall be accompanied with a one-time non-refundable fee of INR 1,000 to meet administrative expenses for examination of the application and the proposed work. In case of Government land, annual lease rent for the space allocated for installation of Mobile tower shall be 10% of the market value of the land on 'per square meter basis'. Market value of the land will be fixed by District Collector, which shall be revised in every 5(five) years. Provided that the Lease rental per month for Mobile Tower shall not exceed Rs. 10,000 per month.**
Further, an amount of Rs. 5000/- (Rupees Five thousand only) per tower shall be collected from licensees/infrastructure providers as 'one time' permission fee besides lease rent. In the event of sharing the towers by other licensees/infrastructure Providers, each one of the licensees shall pay Rs. 5000/- (Rupees Five thousand only) as permission fees additionally. The fee so collected shall be remitted to the appropriate Account Head by the Head of office."

कार्यालय नगर पालिका परिषद, दुगड्डा के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई को अपने क्षेत्रान्तर्गत मोबाइल टावरों की संख्या ज्ञात नहीं थी और न ही इकाई द्वारा मोबाइल टावरों की संख्या ज्ञात करने हेतु कोई सर्वेक्षण करवाया गया था। जिसके अभाव में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2019-20 के दौरान नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत स्थापित टावरों से किसी भी प्रकार की कोई वसूली नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि मोबाइल टावरों की संख्या ज्ञात करने हेतु कोई सर्वेक्षण करवाया जाएगा।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मोबाइल टावरों की संख्या ज्ञात कर अपनी आय बढ़ाने हेतु इकाई द्वारा कोई प्रयास नहीं किए थे। निगम क्षेत्रांतर्गत स्थापित मोबाइल टावरों से Administrative Fee तथा One-time Permission Fee की कोई भी वसूली न किए जाने के कारण इकाई को राजस्व की हानि हो रही थी जिसकी वसूली किया जाना अपेक्षित है।

अतः निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थापित मोबाइल टावरों से किसी भी प्रकार की फीस न लिए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब '

प्रस्तर :06 ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं से जमानत राशि के रूप में प्राप्त ₹ 2.59 लाख मूल्य की एफ़डीआर संबन्धित को वापस न किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका (vol-6) के प्रस्तर 622 के अनुसार:

In the accounts for March each year, the following classes of items in the public works deposit accounts should be carried to the revenue of the state or the central government as lapsed deposit.

कार्यालय नगर पालिका परिषद, दुगड्डा की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि विभिन्न ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से जमानत राशि के रूप में **₹258998** प्राप्त एफ़डीआर विगत कई वर्षों से पालिका के पास बिना किसी कार्यवाही के पड़ी हुई है जबकि संबन्धित कार्य भी पूरे हो चुके हैं और कार्य समाप्ति के बाद security period भी समाप्त हो चुका है (विवरण संलग्न)।

उक्त एफ़डीआर नियत समय के बाद ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को वापस कर दिये जाने चाहिए थे अथवा कार्य में किसी प्रकार की कमी होने पर अनुबंध के शर्तों के अनुसार जब्त कर लिए जाने चाहिए थे जिससे पालिका को आय प्राप्त होती। परंतु उक्त एफ़डीआर वर्षो से पालिका के पास बिना किसी कार्यवाही के रखी हुई है जिनमें से कुछ तो वर्ष 1999 में जारी किए गए थे।

इस संबंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि संबन्धित ठेकेदारों द्वारा मांग न किए जाने के कारण जमानत राशि वापस नहीं की जा सकी तथा भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त एफ़डीआर वर्षों से पालिका के पास रखी हुई हैं और उनका परिपक्वता काल भी समाप्त हो चुका है। निगम के पास उनको सुरक्षित ढंग से नहीं रखा गया है और न ही जमानत संबंधी पंजिका बनाई जा रही है। इससे एक और पालिका के पास देयता बढ़ती जा रही है और साथ ही पालिका को कोई आय भी नहीं हो रही है।

अतः ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं से जमानत राशि के रूप में प्राप्त ₹ 258998 मूल्य की एफ़डीआर संबन्धित को वापस न किए जाने/ पालिका के खाते में न लिए जाने का प्रकरण संग्यान में लाया जाता है।

ठेकेदारों से प्राप्त एफ़डीआर/ बचत प्रमाण पत्रों का विवरण

Sl. N.	Name of Contractor S/Shri/Smt.	FDR/NSC no.	Amount Rs.	Date
1	Imamuddin	947085	10000	08/08/2006
2	Imamuddin	947084	10000	08/08/2006
3	Imamuddin	525676	5000	29/10/2003
4	Imamuddin	J29980	10000	29/10/2003
5	Imamuddin	32905	16000	23/09/2005
6	Imamuddin	30895	45000	02/08/2004
7	Imamuddin	67927	7000	07/02/2004
8	Imamuddin	67527	4000	12/03/2004
9	Jyoti Rawat	854370	10000	22/02/2013
10	Jyoti Rawat	111075	3000	11/09/2013
11	Jyoti Rawat	429838	5000	20/01/2014
12	Narayan Datt	732514	6494	20/07/1999
13	NPP Dugadda	364463	1000	04/07/2002
14	Dheeraj Singh Rawat		5000	11/10/2011
15	Dheeraj Singh Rawat	48164	60000	14/12/2010
16	Dheeraj Singh Rawat	54972	6000	06/04/2012
17	Shanwaj Shamshi	58921	2783	22/02/2002
18	Shanwaj Shamshi	62691	16221	21/06/2001
19	Gopal Dutt Juyal		5000	13/09/2017
20	Gopal Dutt Juyal		9000	04/02/2017
21	Satish Singh Negi		2500	09/10/2013
22	Satish Singh Negi	J30749	5000	23/06/2006
23	Dheeraj Singh Rawat		5000	10/11/2011
24	Satish Singh Negi		10000	17/08/2017
	Total		**258998**	

भाग II-'ब '

प्रस्तरः 07 गृहकर एंव भवन/दुकान किराये मद के अन्तर्गत धनराशि ₹ 0.45 लाख की वसूली लम्बित रहना।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनिमय-1916 (जो उत्तराखण्ड में भी लागू है) के अध्याय-5 की धारा 128 (1) के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में स्थित भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर आरोपित कर उसे वसूल करना चाहिए, ताकि निकाय की आय में वृद्धि हो सके, एवं प्राप्त धनराशि का उपयोग विकास कार्यों में किया जा सकें। शासन के पत्रांक- 760/श0वि0नि0-1213/अधि0नि0- 2008 दिनांक 17.07.2014 के द्वारा निकायों को निर्देशित किया गया था कि निकायों में आरोपित करों की वसूली 90 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित की जाये।

कार्यालय, **नगर पालिका परिषद, दुगड्डा** के गृहकर तथा भवन/दुकान किराये से सम्बंधी अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 में **संलग्नक** के अनुसार गृहकर, एवं भवन/दुकान किराये मद से वसूली की गई थी। संलग्नक से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर उक्त मदों की कुल बकाया धनराशि ₹ 45212/- (24248 + 20964) का वसूल किया जाना अवशेष था।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दुगड्डा, जनपद-पौड़ी गढ़वाल** ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि करों की वसूली हेतु भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर करों का कुल बकाया धनराशि ₹ 45212/- का वसूल किया जाना अवशेष था।

इस प्रकार, गृहकर एंव भवन/दुकान किराये मद के अन्तर्गत धनराशि ₹ 0.45 लाख की वसूली लम्बित रहने संबंधी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(संलग्नक)

तालिका 1: कार्यालय, नगर पालिका परिषद, दुगड्डा, जनपद-पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत वसूले जाने वाले गृहकर का विववरणः-

(धनराशि ₹ में)

वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का प्रारंभिक अवशेष	वर्ष के दौरान मांग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	अवशेष गृहकर की धनराशि
2017-18	14475	114445	128920	103915	25005
2018-19	25813	115245	141058	132810	8248
2019-20	7740	114737	122477	98229	24248

तालिका 2: कार्यालय, नगर पालिका परिषद, दुगड्डा, जनपद-पौड़ी गढ़वाल की परिसंपत्तियों (भवन एवं दुकानों) से किराए की वसूली का विवरणः-

(धनराशि ₹ में)

वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का प्रारंभिक अवशेष	वर्ष के दौरान मांग	कुल योग	वर्ष के दौरान प्राप्त किराए की धनराशि	अवशेष किराए की धनराशि
2017-18	6403	537118	543521	534737	8784
2018-19	8784	526782	535566	501382	34184
2019-20	28256	568901	597157	576193	20964

भाग II-'ब '

प्रस्तर: 08 विभिन्न मदों में प्राप्त ₹ 781.40 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/शहरी निदेशालय को प्रेषित नहीं किया जाना।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या: 526/(वि.आ.निदे.)/XXVII(1)/2019 दिनांक 04 अप्रैल 2018, 266/(वि.आ.निदे.)/XXVII(1)/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कार्यालय नगर पालिका परिषद, दुगद्दा को वित्तीए वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान निम्नलिखित मदों में धनराशि अवमुक्त किए गए थे:-

(धनराशि ₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष 2018-19		
क्रम संख्या	**योजना का नाम**	**प्राप्त धनराशि**
1	राज्य वित्त योजना	382.96
2	प्रधानमंत्री आवास योजना	03.20
	योग	**386.16**
वित्तीय वर्ष 2019-20		
1	राज्य वित्त योजना	382.93
2	स्वच्छ भारत मिशन	13.61
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	02.40
	योग	**398.94**
	कुल योग (2018-19+2019-20)	**785.10**

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दुगड्डा, जनपद-पौड़ी गढ़वाल** ने बताया की 3.70 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किए गए है, उक्त के अतिरिक्त सभी के उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र प्रेषित किए जाएंगे। । इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई को प्राप्त सभी धनराशियों के प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिये जाने चाहिए थे।

इस प्रकार, विभिन्न मदों में प्राप्त ₹ 781.40 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/शहरी निदेशालय को प्रेषित नहीं किए जाने संबंधी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब '

प्रस्तर:09 नव-नियुक्त कर्मचारियों से संबन्धित नई अंशदायी पेंशन योजना का क्रियान्वयन न किया जाना और धनराशि ₹ 0.51 लाख सेवायोजक का अंशदान कम जमा किया जाना ।

शासनादेश सं 21/xxvvi (7)अ.पे.यो/2005 दिनांक 25/10/2005 के अनुसार राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओ/राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नई भर्तियों पर 01 अक्टूबर 2005 से नयी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी । उत्तराखंड शासन के पत्रांक 346/xxvii(7)/2007 दिनांक 21 नवम्बर, 2007 द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया था कि जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं/ स्थानीय निकायों में अंशदायी पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होता, ऐसी संस्थाओं में जब तक भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के पेंशन फंड के विषय में पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त नहीं होता, तब तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसी संस्था में जहां न्यूनतम सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज से कम ब्याज अनुमन्य न हो, सुरक्षित निवेश किया जाय ताकि जैसे ही फंड मैनेजर नियुक्त हो ब्याज सहित ऐसी धनराशि प्रत्येक कर्मचारी के विवरण सहित फंड मैनेजर को हस्तांतरित कर दी जाय । उक्त के अतिरिक्त, सचिव वित्त के आदेश संख्या 169/42/ xxvvii(10)/2016/2019 के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल 2019 के बाद **से नियोक्ता के अंशदान** की कटौती मूल वेतन तथा महगाई भत्ते के 14% की दर की जानी थी ।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, दुगड्डा के अधिकारियों/कर्मचारियों के नई अंशदान पेंशन योजना के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 01 अक्टूबर, 2005 के बाद नगर पालिका परिषद, दुगड्डा में निम्नलिखित 04 कर्मचारियों को सेवा में नियुक्त किया गया था:-

क्रंसं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम
1-	श्री वीर सिंह	पर्यावरण मित्र
2-	श्री संजु	पर्यावरण मित्र
3-	श्री सुबोध	पर्यावरण मित्र
4-	श्री राजू	पर्यावरण मित्र

आगे अभिलेखों का जांच में पाया गया की उक्त कर्मचारियों की अंशदायी पेंशन योजना की अंशदान की कटौतियाँ एवं नियोक्ता के अंशदान की धनराशि को पंजाब नैशनल बैंक, दुगड्डा में खोले गए कर्मचारियों के बचत खातों में जमा की जा रही है जिस पर बैंक द्वारा सामान्य बचत खाते के रूप में ब्याज दिया जा रहा था। 01 अक्टूबर, 2005 के बाद से नगर पालिका परिषद, दुगड्डा द्वारा उपरोक्त कर्मचारियों के **प्रान संख्या (Permanent Retirement Account Number)** आवंटन किये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। जिसके कारण उक्त अधिकारी/कर्मचारियों को नई अंशदायी पेंशन योजना का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि 01/04/2019 के बाद **सेवायोजक का अंशदान 14 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत** ही जमा किया जा रहा था।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये बताया गया कि नव-नियुक्त कर्मचारियों के नई अंशदायी पेंशन योजना का क्रियान्वयन का प्रयास किया जा रहा है, और धनराशि ₹ 0.51 लाख को शीघ्र ही संबन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों के खातो में जमा किया जाएगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन द्वारा नव-नियुक्त कर्मचारियों के नई अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित शासनादेश 2005 में ही निर्गत कर दिये गए थे एवं इनके क्रियान्वयन नहीं होने के कारण संबन्धित कर्मचारियों को आर्थिक क्षति हुई है।

अतः नव-नियुक्त कर्मचारियों से संबन्धित नई अंशदायी पेंशन योजना का क्रियान्वयन न किया जाना और धनराशि ₹ 0.51 लाख सेवायोजक का अंशदान कम जमा किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

श्री बीर सिंह, पर्यावरण मित्र को देय तथा दिये गए सेवायोजक के अंशदान में अंतर का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	माह	मूल वेतन +महंगाई भत्ता	सेवायोजक का अंशदान		अंतर
			जो दिया गया	जो देय था	
1	अप्रैल 2019	31136	3114	4359	1245
2	मई 2019	31136	3114	4359	1245
3	जून 2019	31136	3114	4359	1245
4	जुलाई 2019	31136	3114	4359	1245
5	अगस्त 2019	31136	3114	4359	1245
6	सितम्बर 2019	31136	3114	4359	1245
7	अक्तूबर 2019	31136	3114	4359	1245
8	नवम्बर 2019	32526	3253	4554	1301
9	दिसम्बर 2019	32526	3253	4554	1301
10	जनवरी 2020	33228	3323	4652	1329
11	फरवरी 2020	33228	3323	4652	1329
12	मार्च 2020	33228	3323	4652	1329
	योग		**38269**	**53576**	**15308**

श्री संजू, पर्यावरण मित्र को देय तथा दिये गए सेवायोजक के अंशदान में अंतर का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	माह	मूल वेतन +महंगाई भत्ता	सेवायोजक का अंशदान		अंतर
			जो दिया गया	जो देय था	
1	अप्रैल 2019	24080	2408	3371	963
2	मई 2019	24080	2408	3371	963
3	जून 2019	24080	2408	3371	963
4	जुलाई 2019	24080	2408	3371	963
5	अगस्त 2019	24080	2408	3371	963
6	सितम्बर 2019	24080	2408	3371	963
7	अक्तूबर 2019	24080	2408	3371	963
8	नवम्बर 2019	25155	2516	3522	1006
9	दिसम्बर 2019	25155	2516	3522	1006
10	जनवरी 2020	25857	2586	3620	1034
11	फरवरी 2020	25857	2586	3620	1034
12	मार्च 2020	25857	2586	3620	1034
	योग		**29644**	**41502**	**11858**

श्री सुबोध, पर्यावरण मित्र को देय तथा दिये गए सेवायोजक के अंशदान में अंतर का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	माह	मूल वेतन +महंगाई भत्ता	सेवायोजक का अंशदान		अंतर
			जो दिया गया	जो देय था	
1	अप्रैल 2019	24080	2408	3371	963
2	मई 2019	24080	2408	3371	963
3	जून 2019	24080	2408	3371	963
4	जुलाई 2019	24080	2408	3371	963
5	अगस्त 2019	24080	2408	3371	963
6	सितम्बर 2019	24080	2408	3371	963
7	अक्तूबर 2019	24080	2408	3371	963
8	नवम्बर 2019	25155	2516	3522	1006
9	दिसम्बर 2019	25155	2516	3522	1006
10	जनवरी 2020	25857	2586	3620	1034
11	फरवरी 2020	25857	2586	3620	1034
12	मार्च 2020	25857	2586	3620	1034
	योग		**29644**	**41502**	**11858**

श्री राजू, पर्यावरण मित्र को देय तथा दिये गए सेवायोजक के अंशदान में अंतर का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	माह	मूल वेतन +महंगाई भत्ता	सेवायोजक का अंशदान		अंतर
			जो दिया गया	जो देय था	
1	अप्रैल 2019	24080	2408	3371	963
2	मई 2019	24080	2408	3371	963
3	जून 2019	24080	2408	3371	963
4	जुलाई 2019	24080	2408	3371	963
5	अगस्त 2019	24080	2408	3371	963
6	सितम्बर 2019	24080	2408	3371	963
7	अक्तूबर 2019	24080	2408	3371	963
8	नवम्बर 2019	25155	2516	3522	1006
9	दिसम्बर 2019	25155	2516	3522	1006
10	जनवरी 2020	25857	2586	3620	1034
11	फरवरी 2020	25857	2586	3620	1034
12	मार्च 2020	25857	2586	3620	1034
	योग		**29644**	**41502**	**11858**

भाग II-'ब '

प्रस्तर :10 ₹48.31 लाख लागत के चार निर्माण कार्यों का ₹ 30.63लाख व्यय के बाद भी अधूरा रहना।

नगर पालिका परिषद दुगड्डा में वर्ष 2019-20 में स्वीकृत चार निर्माण कार्यों (सूची संलग्न) के कार्यारंभ की तिथि 07.03.2020 थी। कार्यों को दो माह में पूर्ण किया जाना था। उक्त कार्यों की कुल लागत ₹ 48.31 लाख थी।

नगर पालिका परिषद दुगड्डा की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि ₹ 30.63लाख व्यय होने के बाद भी उक्त कार्य लेखापरीक्षा माह (02/2021) तक भी अपूर्ण थे जिससे न केवल पालिका क्षेत्रांतर्गत जनता उक्त कार्यों के पूर्ण होने पर मिलने वाले लाभ से वंचित रही, वरन कार्यों के निस्तारण में देरी होने पर कार्यो की लागत बढ़ने और किए गए कार्य के मौसम आदि के कारण खराब होने की भी संभावना रहती है।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि कोविड-19 महामारी के कारण उक्त कार्य करने में बिलंब हुआ। अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्तमान समय में समस्त निर्माण कार्य महामारी के बाद भी पूर्ण किए जा रहे है। कार्य लघु निर्माण और मरम्मत की प्रकृति के थे। कार्यों को समय पर पूरा करने का दायित्व पालिका का था जिसे पूरा किया जाना चाहिए था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

अपूर्ण एवं गतिमान कार्यो की सूची

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लागत + GST+ (₹)	कार्य आरम्भ की तिथि	अद्यतन व्यय/ प्रथम रनिंग (₹)	कार्य पूर्ण होने की अवधि
1	वार्ड न0-1 में चंद्रषेखर आजाद पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य।	973959.00	07.03.2020	606709.00	2 माह
2	वार्ड न0-1 में बलदेव सिंह आर्य पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य।	541749.44	07.03.2020	291375.00	2 माह
3	वार्ड न0-1 में पालिका कार्यालय के भूतल पर बने भवन की मरम्मत व रंगाई पुताई का कार्य।	1974059.39	07.03.2020	1219681.00	2 माह
4	वार्ड न0-2 में राकेश मोहन काला के घर के पास बंधे पर नालियों के गंदे पानी हेतु सोकपिट का निर्माण कार्य।	1341001.38	07.03.2020	944828.00	2 माह
	योग	4830769.21		3062593	

भाग-III

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दुगड्डा, जनपद-पौड़ी गढ़वाल के वित्तीय वर्ष 04/2018 से 03/2020 तक के लेखा-अभिलेखों की सम्प्रेक्षा श्री रविन्द्र सिंह, व. लेखापरीक्षक, श्री अशोक कुमार एवं श्री राकेश रंजन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.02.2021 से 24.02.2021 तक श्री राज बहादुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी।

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	भाग 2 (अ) के प्रस्तर	भाग 2 (ब) के प्रस्तर	STAN के प्रस्तर	TAN के प्रस्तर
01	79/2015-16	01 (भाग IV ब 1)	01 से 06 (भाग IV ब 2)	01	
02	77/2018-19	00	01 से 05	01 से 02 तक	

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		इकाई द्वारा विगत समस्त अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई।	इकाई द्वारा विगत समस्त अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उपलब्ध न कराए जाने के कारण विगत अनिस्तारित प्रस्तरों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका। अतः समस्त प्रस्तरों को यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- सामान्य -

भाग-V
आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दुगड्डा, जनपद-पौड़ी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2- लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गए-

(i)

(ii)

3- सतत अनियमितताएं-

(i)

4- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
(i)	श्री हर्षवर्द्धन सिंह रावत	अधिशासी अधिकारी	22.01.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नही हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दुगड्डा, जनपद-पौड़ी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार, शहरी विकास (AMG-II), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195** को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी/ AMG-II